

49

७८

न्यायालय विशेषाधिकारी नगरीय विकास एवं आवासन विभाग
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:

दिनांक:

वाद संख्या 1/82 1101 एवं 1121



विषय: राजस्थान आवासन मंडल द्वारा सार्वजनिक प्रयोजनाय अर्थात् हाउसिंग कालोनी निर्माण हेतु अवाप्ति के अधीन भूमि का आंशिक अवाई ग्राम सुखालपुरा खेरा नम्बर 42 रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा, ख.नं. 43 रकबा 3 बीघा 5 बि. ख.नं. 44 रकबा 1 बिस्वा, ख.नं. 45 रकबा 5 बीघा 10 बिस्वा, 46 रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा, ख.नं. 52 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा एवं खेरा नम्बर 53 रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा.

बीठातीन अधिकारी

श्री मूलचंद, आर.स.सत., विशेषाधिकारी, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग राजस्थान, जयपुर

पक्षकार:-

1. श्री नारायण पुत्र गंगाराम बलाई सा. सुखालपुरा
2. श्री चन्द्रा पुत्र म्होरु धानका सा. सुखालपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर
जरिये श्री राम चन्द्र शर्मा, सडवोकेट
3. राजस्थान आवासन मंडल, जरिये श्री दीनदयाल शर्मा सडवोकेट.

विशेषाधिकारी

नगरीय विकास एवं आवासन मंडल
राजस्थान, जयपुर.

:: अवाई ::

111 राज्य सरकार के नगरीय विकास एवं आवासन विभाग राजस्थान जयपुर की ओर से राजस्थान आवासन मंडल के सार्वजनिक प्रयोजनाय अर्थात् हाउसिंग कालोनी बनाने हेतु निम्न ग्रामों के सामने अंशित भूमि को अवाप्त करने के आदेश राजस्थान भूमि अवाप्ति अधिनियम 53 जिसे आगे अधिनियम शब्द से सम्बोधित किया जावेगा को धारा 4 के अन्तर्गत दिये गये अधिसूचना क्रमांक स्प-71721 नं. वि.आ./11/81 दिनांक 12.1.82 को राजपत्र के भाग 'ख' में दिनांक 13.1.82 को प्रकाशित

की गई। ग्रामवार भूमि का विवरण निम्न प्रकार है :---

क्र. सं.	नाम ग्राम	बीघा	कित्वा
1.	सुखालपुरा		
2.	देवरी	807	06
3.	झालाना चौह	679	04
4.	बलरागपुरा उर्फ केजडावाला	936	03
5.	मानपुरा देहरी उर्फ गोन्धावात	38	11
6.	नन्द किरीर पुरा उर्फ मान्यावात	27	07
		82	04
योग:		2576	15



121 - तत्पश्चात् राज्य सरकार ने भूमि की अवाप्ति की अति आवश्यकता को ध्यान में रखी हुए राजस्थान भूमि अवाप्ति अधिनियम 1953 की धारा 17 की उप धारा 4 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में धारा 9 की उप धारा 111 में उल्लेखित नोटिस में प्रकाशित हो जाने की तिथि से 15 दिवस की समाप्ति पर उपरोक्त विज्ञप्ति में उल्लेखित भूमि का कब्जा लेने हेतु विशेषाधिकारी नारीय विकास एवं आवासन विभाग राजस्थान, जयपुर की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-7112 नं. दि. आ. 11/81 दिनांक 9 फरवरी 1982 को राजस्थान राजपत्र में दिनांक 9.2.82 भागख में प्रकाशित हुई के द्वारा अधिस्त किया।

विशेषाधिकारी
नारीय विकास एवं आवासन मण्डल
राजस्थान, जयपुर.

131 धारा 17141 की अधिसूचना प्रकाशित होने के पश्चात् अवाप्ति के अन्तर्गत भूमि का सर्वेक्षक/हसीलदार सांगानेर से कराया गया। तत्पश्चात् सम्स्त कीर्तदारो/हितधारियों के नाम भूमि का कब्जा स्थानान्तरण हेतु तथा अपना हक व हित प्रस्तुत करने हेतु पब्लिक नोटिस नियमानुसार दिनांक 5.5.82 को प्रकाशित कराया गया। पब्लिक नोटिस प्रकाशित होने के 15 दिवस पश्चात् निम्न लिखित तिथियों में भूमि का कब्जा प्राप्त किया गया :-

दिनांक 22.5.82 ग्राम सुखालपुरा, नन्द किरीरपुरा उर्फ मान्यावात एवं देवरी.

दिनांक 24.5.82 ग्राम झालाना चौड, बलरामपुरा उर्फ
खेडावाला, मानपुर देवरी उर्फ गोल्यावाला

भूमि का कब्जा लिया जाकर मौके पर ही राजस्थान
आवासन मण्डल के प्रतिनिधि को सौंपाया गया ।

14। उपरोक्त कार्यवाही के पश्चात विभिन्न जतिदारों/
हितधारियों को अधिनियम की धारा 9।3। के अन्तर्गत
नोटिस जारी किये गये समस्त खसरा नम्बर की भूमि का
कीम प्रस्तुत करने हेतु सूचना दैनिक पत्र राजस्थान पत्रिका
में दिनांक 19.6.1982 में प्रकाशित की गई ।



15। अधिनियम की धारा 9।1। के पब्लिक नोटिस प्रकाशित
करने के पूर्व सरकार के पत्र क्रमांक एफ-7।72। न. वि. आ.

1।/8। दिनांक 29.4.1982 द्वारा ग्राम सुखलिपुरा
झालाना चौड एवं गोल्यावाला की कुछ खसरा नम्बरों की भूमि
की अवाप्ति कार्यवाही अग्रिम आदेशों तक स्थगित की गई,
अतः अधिनियम की धारा 9।1। के नोटिस में स्थगित आदेश
सम्बन्धित भूमि को सम्मिलित नहीं किया गया एवं कब्जा
भी नहीं लिया गया । इस प्रकार स्थगन आदेश संबंधित
भूमि को छोड़ते हुए तथा राजस्व अधिकार में अंक्ति रकबे से
अधिक रकबे को छोड़ते हुए निम्न ग्रामों के आगे अंक्ति भूमि
का कब्जा दिनांक 22.5.82 एवं 24.5.82 को लिया

विशेषाधिकारी

राज्यीय विकास एवं आवासन मण्डल
राजस्थान, जयपुर.

जाकर राजस्थान आवासन मण्डल को सौंपा गया :-

नाम ग्राम	बोधा	क्षेत्र
1. बलरामपुरा उर्फ खेडावाला तहसील सांगानेर	38	21
2. मानपुर देवरी उर्फ गोल्यावाला तहसील सांगानेर	24	06
3. नन्द किशोरपुरा उर्फ मान्यावाला तहसील सांगानेर	82	04
4. झालाना चौड तहसील सांगानेर	852	10
5. देवरी तहसील सांगानेर	667	13
6. सुखलिपुरा तहसील सांगानेर	726	19
योग:	2392	11

- 161 उत्तरा नम्बर 42 रकबा 7 बीधा 5 बिस्वा, ख.नं. 43
रकबा 3 बीधा 5 बिस्वा, ख.नं. 44 रकबा 1 बिस्वा
उत्तरा नम्बर 45 रकबा 5 बीधा 10 बिस्वा, उत्तरा नम्बर
46 रकबा 3 बीधा 15 बिस्वा, उत्तरा नम्बर 52 रकबा
1 बीधा 10 बिस्वा एवं उत्तरा नम्बर 53 रकबा 2 बीधा
15 बिस्वा जिसका अवाई दिया जा रहा है यह ग्राम
सुखालपुरा तहसील सांगानेर की 807 बीधा 6 बिस्वा भूमि
में सम्मिलित है जिसका पूर्ण विवरण निम्न प्रकार है :---



नाम दावेदार/ खातेदार	उत्तरा नम्बर	रकबा बीधा-बिस्वा	क्षेत्र भूमि
श्री नारायण पुत्र गंगाराम बलाई	42	7-05	बारानी -1
श्री गणमत पुत्र नारायण	53	3-05	चाही-3 जाव मै. मु. बाडा
श्री मु. नाना बेवा जगन्नाथ	44	0-01	मै. मु. बाडा
जाति बलाई निवासी	55	5-10	चाही-3 जाव 1-15
ग्राम सुखालपुरा तहसील सांगानेर	46	3-15	चाही -3 जाव 2-12 1-12

योग 19-16

2. चन्द्रा पुत्र म्होरु			
कौम धानका	52	1-10	चाही 2 जाव
निवासी ग्राम		1-4	गा. 1
सुखालपुरा तहसील	53	2-15	1-2 1-3 बा. 2
सांगानेर			0-10

कुल योग 24-01

विशेषाधिकारी
राजस्थान एवं आवासन मण्डल
राजस्थान, ज.पुर.

उपरोक्त भूमि राजस्व रेकार्ड में उक्त खातेदारों के नाम दर्ज है,
अतः अवाई तदनुसार दिया जा रहा है ।

- 171 अधिनियम की धारा 9131 के अन्तर्गत खातेदारों को नोटिस
दिया गया जिसके उत्तर में सभी ने अपना अपना अलग अलग
प्रत्येक वाद में जो क्लेम प्रस्तुत किया गया है उसका विवरण
निम्न प्रकार से है :---

1. श्री नारायण पुत्र गंगाराम श्री गणमत पुत्र नारायण
मु. नाना बेवा जगन्नाथ सा. ग्राम सुखालपुरा तहसील
सांगानेर वाद संख्या 1182/101 द्वारा प्रस्तुत क्लेम:

1क। भूमि की कीमत 60000/- प्रति बीधा की
दर से

11. 88000/==

....5....

151

।ख। पम्प सेट की कीमत	44,650/-
।ग। होदिया व सौमिन्ट पाईपस की कीमत	6,292/-
।घ। पुखता मकान की कीमत	1,27,601/-
।ङ. छप्पर आदि की कीमत	8,889/-
।च। विकास कार्य पर खर्च	40,000/-
।छ। डोले की कीमत	4,500/-
।ज। पैडों की कीमत	48,100/-
।झ। शिफ्टिंग चार्ज	5,000/-
।ट। अन्य नियमानुसार	

योग:

14,73,032/-
14,73,032/-

2. श्री चन्द्रा पुत्र ग्दोर कौम धानका निवासी ग्राम सुबालपुरा
तहसील सांगानेर वाद संख्या 1/82।12।द्वारा प्रस्तुत क्लेम:-

।क। भूमि की कीमत 45,000/- प्रति बीघा की दर से	1,91,250/-
।ख। भूमि की पोटेन्सियल पैलू	63,750/-
।ग। पक्के धोरे आदि की कीमत	2,754/-
।घ। मिट्टी के डोले की कीमत	2,193/-
।ङ। विकास कार्य की कीमत	8,000/-
।च। पैडों की कीमत	9,200/-
।छ। क्यू की कीमत	12,000/-
।ज। मकान छप्पर आदि की कीमत	7,051/-
।झ। शिफ्टिंग चार्ज	1,000/-
।ट। अन्य नियमानुसार	

योग: 2,97,198

विशेषाधिकारी
राजस्थान, जयपुर.

181

दावेदारान कोओर से अपने अपने क्लेम के समर्थन में जो
दस्तावेजात प्रस्तुत किये गये है उनका विवरण पृथक पृथक
निम्नानुसार है :--- वाद संख्या 1/82।10।

- ।क। विक्रय पत्र दिनांक 1.1.73
।ख। विक्रय पत्र दिनांक 18.7.72
।ग। विक्रय पत्र दिनांक 9.8.71
।घ। विक्रय पत्र दिनांक 15.11.73
।ङ. जमाबंदी सम्यत 2025 से 2028

1. अंतरा गिरदावरी तख्त 2034 से 2036

2. चन्द्रा पुत्र म्होसाबाद संख्या 1/82/121

क। विपुल पत्र दिनांक 9.8.71

ख। विपुल पत्र दिनांक 15.11.73

ग। विपुल पत्र दिनांक 18.7.72

घ। विपुल पत्र दिनांक 1.1.73

ड.। विपुल पत्र दिनांक 2.6.82

च। जमवादी तख्त 2025 से 2028

छ। अंतरा गिरदावरी तख्त 2034 से 2038



आवासन मण्डल राजस्थान, जयपुर द्वारा उक्त सभी वादों में अपना जवाब व अलग अलग तहमीने पेश किये गये हैं जो निम्न लिखित है :-

1. वाद संख्या 1/82/101 में प्रस्तुत तहमीना :

क। मिट्टी का डोल	1,252.90
ख। कुए की कीमत	18,000.00
ग। स.सो.पाईप्स	3,439.20
घ। पेड़ों की कीमत	5,360.00
ड.। मकानों की कीमत	40,500.00
च। ईंटों की तामीर की कीमत	31,455.80
छ। छप्परों की कीमत	6,015.80
ज। निर्माणाधीन की कीमत	31,455.00

योग 1,08,365.90

2. चन्द्रा पुत्र म्होसाबाद संख्या 1/82/121

क। मिट्टी का डोल	1,403.25
ख। पेड़	1,780.00
ग। मिट्टी के बने हुए मकान एवं छप्पर	20,185.20

योग 23,368.45

विशेषाधिकारी
ग्राम विकास एवं आवासन मण्डल
राजस्थान, जयपुर.

आवासन मंडल द्वारा अपने जवाब के समीन में जो दस्तावेज पेश किये हैं वे निम्न लिखित हैं :

क. विजय पत्र दिनांक 15.4.82

ख. विजय पत्र दिनांक 4.1.82

1101

वाद संख्या 1/82 1101 पत्रावली के अवलोकन से पाया गया कि श्री नारायण गुंजाराम के दो पुत्र श्री गणमत व श्री जगन्नाथ हैं

इसमें यह भी पाया गया कि श्री नारायण व जगन्नाथ की मृत्यु के पश्चात श्री गणमत पुत्र श्री श्रीनारायण व जगन्नाथ की

बेवा नाना ने हितवध्द पक्षकार के रूप में अपना क्लेम प्रस्तुत

किया। राज्य रेकार्ड जमाबंदी सं. 2025 से 2028 के अवलोकन से पाया गया कि नामान्तरकरण संख्या 28 दिनांक 30.5.72 के अनुसार नारायण के बजाय गणमत, जगन्नाथ पि. नारायण का नाम हुआ। तथा नामान्तरकरण संख्या 45 दिनांक

26.9.77 के अनुसार जगन्नाथ को जगह मु. नाना बेवा जगन्नाथ का नाम हुआ। अतः मैं राज्य रेकार्ड के आधार

पर श्रीगणमत पुत्र नारायण व मु. नाना बेवा जगन्नाथ दोनों को वाद संख्या 1/82 1101 में हितवध्द पक्षकार मानता हूँ तथा जो क्लेम इनके द्वारा प्रस्तुत किया गया है उसका अवाई

इन्हो दोनों के नाम दिया जाना न्यायोचित समझता हूँ। वाद संख्या 1182 1121 चन्द्रा पुत्र म्होरु कीपत्रावली के अवलोकन

से पाया गया कि श्री चन्द्रा पुत्र म्होरु ने अपने क्लेम में धर व छप्परों की कीमत उसके द्वारा प्रस्तुत तहमीने के अनुसार

7,051/- रुपये की भाँति की है। आवासन मंडल द्वारा दिनांक 8.11.82 को जो तहमीना प्रस्तुत किया गया था जिसमें

धर व छप्परों का तहमीना नहीं दिया गया। इसके पश्चात दिनांक 14.7.83 को जो संगीधित तहमीना पेश किया गया है

उसमें मिट्टी के धर व छप्परों की कीमत 20,185.20 प्रस्तुत किया गया। मैं दावेदार द्वारा प्रस्तुत क्लेम आवासन मंडल द्वारा प्रस्तुत दोनों तहमीनों का अवलोकन किया। क्योंकि

दावेदार ने अपने क्लेम में मिट्टी के धर व छप्परों की कीमत मात्र 7,051/- रुपये की भाँति की है। अतः मैं इससे ज्यादा धर व छप्परों की मुआवजे की राशि इससे ज्यादा दिया जाना

उचित नहीं समझता।



[Signature]
विशेषाधिकारी

नगरीय विकास एवं आवासन मण्डल
राजस्थान, जयपुर.

1121

भने उक्त सभी पत्रावलियों से सम्बन्धित मौका का निरीक्षण किया, पत्रावलियों में प्रस्तुत पक्षकारान द्वारा दस्तावेजात का अध्ययन किया पक्षकारान के विद्वार अभिभाषण की वदत सुनी। सभी धातदारों ने अपने इलेम में 60,000/- प्रति बीधा बाजार दर कालाते हुए गुआवर्ज कीमति की है तथा इसके समीन में सभी ने विषय पत्र प्रस्तुत किए है। लेकिन इन विषय पत्रों के आधार पर भूमि की दर 60,000/- प्रति बीधा सिद्ध नहीं होती तथा इस दर को मैं बहुत ज्यादा मानता हूँ। आवासन मण्डल की ओर से भूमि की दर 10,000/- प्रति बीधा देना अपने जवाब में प्रस्तावित किया है। इसके समीन में जो विषय पत्र पेश किये है उन्हें भी उनके द्वारा प्रस्तावित भूमि की दर सिद्ध नहीं होती है। भूमि को बढ़ती हुई कीमत व भूमि की पोटेंशियलिटी को ध्यान में रखते हुए मैं आवासन मण्डल द्वारा प्रस्तावित दर को कम मानता हूँ। अतः इन सभी मामलों में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा अधिनियम की धारा 6 के अन्तर्गत उद्धोषित तिथि को भूमि की मार्केट वैल्यू निर्धारित किया जाना है राज्य सरकार द्वारा इस भूमि को अध्याप्त करने के लिए अधिनियम की धारा 4 के अन्तर्गत विज्ञापित दिनांक 22.1.82 को जारी की गई। इसके पश्चात इसी क्षेत्र की अध्याप्ति को जाने वाली भूमि का मूल्य निर्धारण भी किया जा चुका है। जिसके अनुसार चाही भूमि की दर 20,000/- प्रति बीधा, बाराली भूमि की दर 19,000/- तथा तडक के नजदीकी की भूमि की 1,000/- प्रति बीधा अतिरिक्त देना तय किया गया है। अतः उन दरों को मध्य नजर रखा जा सकता है।



विशेषाधिकारी

नगरीय विकास एवं आवासन मण्डल
राजस्थान, जयपुर.

1131

प्रस्तुत प्रकरण में बहस के दौरान दावेदारान के विद्वान अधिवक्ता ने राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट के अन्तर्गत बने नियम सन 1957। राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू। सर्वे रेकार्ड एण्ड सैटिलमैन्ट। गवर्नमेन्ट सन 1957। का उल्लेख करतेहूय तर्क प्रस्तुत किया कि उक्त उ नियमों के नियम 3। में भूमि का वर्गीकरण दिया गया है जिसमें चाही भूमि कई प्रकार की मानी गई है। तथा कुछ से सिंचित भूमि को भी चाही भूमि में सम्मिलित किया गया है। इन तर्क कीपुष्टि में दावेदारान ने

अपने द्वारा प्रस्तुत उत्तरा गिरदावरियों का उल्लेख करते हुए बताया गया कि सभी गिरदावरियों में दो फसल होने का इन्द्राज है तथा इन पत्रावलियों से सम्बन्धित भूमि की सिबीई कुए से की जाती है। अतः मुआवजा चाही भूमि की दर से दिया जावे।

मैने राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट के अन्तर्गत बने नियमों का अध्ययन किया तथा प्रस्तुत जमाबंदिया व कुछ उत्तरा गिरदावरियों पर विचार किया। उत्तरा गिरदावरियों के आधार पर दोनो प्रकरणों की भूमियों पर दो फसले होना अंकित है। मैने मीके पर सभी उत्तरों से सम्बन्धित भूमि का पोटेन्शियलिटी के आधार पर निरीक्षण किया जो समतल व उपजाऊ है। अतः इन उत्तरा नम्बरों की भूमि के मुआवजे का निर्धारण 20,000/- प्रति बीघा से कम किया जाना न्यायोचित नहीं समझता।

विद्वान अधिवक्ता श्रीरामचन्द्र शर्मा ने तर्क प्रस्तुत किया कि प्रस्तुत प्रकरणों में 0.9000 अर्जेंसी मानते हुए अधिनियम की धारा 17141 के अन्तर्गत भूमि अवाप्त की गई है, अतः अधिनियम की धारा 23121 के अनुसार सोलेशियम 10 प्रतिशत मुआवजे की राशि पर दिलाया जावे। इस तर्क के संबंध में अधिनियम की धारा 23121 का अध्ययन किया। इस जमीन पर आवासीय कच्चे पक्केमकान बने हुए है अतः 10 प्रतिशत सोलेशियम दिया जाना न्याय संगत है। विद्वान अधिवक्ता श्री शर्मा ने अधिनियम की धारा 34 के अनुसार 4 प्रतिशत ब्याज दिया जाना आवश्यक बताया। मैने अधिनियम की धारा 34 का अवलोकन किया तथा पत्रावलियों के अवलोकन से पाया कि इस प्रकरण में सभी उत्तरा नम्बरों का कब्जा आवासन मण्डल को दिनांक 22.5.82 को सौंपा जा चुका है। मैं इस तर्क से भी सहमत हूँ।

बहस के दौरान वाद संख्या 1/821/01 के दावेदारान के विद्वान अधिवक्ता श्री रामचन्द्र शर्मा ने निवेदन किया कि इस प्रकरण की भूमि पर बहुत बड़ा पुख्ता मकान बना हुआ है जिसमें कई बड़े बड़े कमरे है तथा अन्दर और बाहर बरामदा बना हुआ है, इसके मुआवजे को पाने का एक मात्र अधिकार



विशेषाधिकारी
सरोज विकास एवं आवासन मण्डल
राजस्थान, जयपुर.

श्री गणमत पुत्र नारायण को ही है। विद्वान अधिकता ने बहुत के दौरान आगे बताया कि इस पुत्रो मकान का आवासन मण्डल द्वारा निष्ठागधीन जालाकर बहुत ही कम मुआवजे की राशि देना प्रस्तावित किया है। श्री शर्मा ने मेरा ध्यान उनके द्वारा इस मकान से सम्बन्धित प्रस्तुत तहमीने की ओर दिलाया और कहा कि इस मकान का मुआवजा कम से कम 1,27,601/- तो मिलना ही चाहिए। उन्होंने आगे बताया कि हमारे द्वारा प्रस्तुत तहमीना एक अनुष्ठी सेवानिवृत्त अभियन्ता के द्वारा बनाया हुआ है तथा इसका आधार पी.इन्फ्यू.डी., बी.स्त.आर. मार्च 1980 है। मैंने इस जीते के निरीक्षण दौरान इस मकान का निरीक्षण इस योजना से सम्बन्धित स्थल अभियन्ता श्री ओ.पी. शर्मा, दावेदारान के अधिकता श्री रामचन्द्र शर्मा तथा दावेदार के साथ किया। मैंने मौका निरीक्षण पाया कि इस मकान में कुल 13 कमरे बने हुए हैं जिनमें तीन कमरों कमरे तो 16 फुट लम्बे तथा 9 फुट चौड़े तथा 10 कमरे 13 फुट लम्बे तथा 9 फुट चौड़े हैं। इसके अलावा इन सब कमरों के आगे धुम्का हुआ बरामदा बना हुआ है और एक बहुत बड़ा बरामदा मकान के सामने बना हुआ है।



विशेषाधिकारी
जनसंघ विकास एवं आवासन मण्डल
राजस्थान, जयपुर.

मैंने इस मकान से सम्बन्धित दावेदारान द्वारा प्रस्तुत तहमीने का अवलोकन किया जो कि एक सेवा निवृत्त अभियन्ता द्वारा बनाया हुआ है। मकान के अन्दर बने हुए कमरों की संख्या बरामदों की लम्बाई, चौड़ाई एवं बनावट की फिनिसिंग वगैरहा को देखते हुए मैं इस मकान की मुआवजे की राशि जो आवासन मण्डल ने अपने तहमीने में देना प्रस्तावित किया है, को बहुत कम मानता हूँ तथा दावेदारान द्वारा प्रस्तुत तहमीने एवं अपने क्लेम में मांगी गई राशि इस मकान के मुआवजे के रूप में रुपये 1,27,601/- देना न्यायोचित समझता हूँ।

दावेदारान ने अपने क्लेम में कुस बोरिंग, पाईप, पेड, मिट्टी के डोले, छप्पर एवं कच्चे बकानात आदि केजो मुआवजे की राशि की मांग की है उसे मैं अत्यधिक मकानता हूँ और उक्त पुत्रो मकान के मुआवजे की राशि को छोड़ कर आवासन

मण्डल द्वारा इन वादों में प्रस्तुत तथ्यों को स्वीकार करता हूँ।

वाद संख्या 1/821101 के दावेदारान के अधिवक्ता ने अपनी बहस के दौरान बताया कि श्री मंगल, श्री जगन्नाथ व उनकी बेवा मु. नाना का दत्तक पुत्र है। यही कारण है कि श्री जगन्नाथ प्रस्तुत किया गया है वह श्रीमंगल और श्री गणमत द्वारा पेश किया गया है। मैंने पत्रावली का अवलोकन किया तथा दावेदारान द्वारा प्रस्तुत जगन्नाथ का अध्ययन किया तो पाया कि श्रीमंगल के श्री जगन्नाथ व मु. नाना के दत्तक पुत्र होने का कोई ठोस सबूत दावेदारान द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया।

और राजस्व रेकार्ड के अध्ययन से भी यह पाया गया कि श्रीमंगल का इन्द्राज किली भी राजस्व रेकार्ड में अंकित नहीं है। इन तथ्यों के आधार पर मैं इस वाद में श्रीमंगल को दितबद्ध पक्षकार नहीं मानता हूँ। अतः इसके हक में मुआवजे का निर्धारण किया जाना न्यायोचित नहीं है।

विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान इन प्रकरणों का उल्लेख करते हुए इस बात की ओर ध्यान आकषिप्त किया कि प्रस्तुत प्रकरणों की भूमि सड़क सीमा में आती है, अतः भूमि के मुआवजे के अतिरिक्त सड़क सीमा का मुआवजा भी कार्रगारों दिया जावे। मौका निरोक्षण के अवसर पर मैंने पाया कि इन वादों से सम्बन्धित भूमि सड़क सीमा में आती है, अतः मैं विद्वान अधिवक्ता के मत से सहमत हूँ।

114 उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रत्येक दावेदार के हक में मुआवजे का निर्धारण निम्नानुसार किया जाता है :

1. अ. श्री गणमत पुत्र श्रीनारायण । वाद संख्या 1/821101

क। भूमि की कीमत खसरा नम्बर

42 रकबा 7 बोधा 5 हिल्वा

ख. नं. 43 रकबा 3 बोधा 5 वि.

ग. नं. 44 रकबा 1 हिल्वा.

घ. नं. 45 रकबा 5 बोधा 10 वि.

च. नं. 46 रकबा 3 बोधा 15 वि.

कुल रकबा 19 बोधा 16 हिल्वा

का 1/2 हिल्वा 20,000/- प्रति

2,07,900.00

विशेषाधिकारी
जीव विवास एवं आवासन मण्डल
राजधानी, जयपुर.

1. अ. कुआ, बसन्तपुर
18,000/-, र. तो.
पाईय 3,439.20
पैड 5,300/-
मिस्सी का डोला
1,252.50 कुल
27,991.70 का 1/2
भाग.

पिछला योग 2,07,900.00



ग. आवासीय मकान का मुआवजा
हैंडों की तामीर व छप्परो
की कीमत

13,995.85

1,27,601.00

8,418.80

ड. अनिवार्य अवाप्ति का मुआवजा
10 प्रतिशत की दर

योग: 3,57,915.65

35,791.57

च. मुआवजे की राशि पर
4 प्रतिशत वार्षिक दर से
साधारण ब्याज दिनांक
22.5.82 से 21.10.83

कुल योग 3,93,707.22

22,310.06

कुल योग 4,16,017.28

1. ब. नाना बेवा श्री जगन्नाथ वाद संख्या 1/82 1101

क. भूमि की कीमत खसरा नम्बर
42 रकबा 7 बोधा 5 बिस्वा
ख. नं. 43 रकबा 3 बोधा 5 वि.
ख. नं. 44 रकबा 1 बिस्वा.
ख. नं. 45 रकबा 5 बोधा 10 वि.
ख. नं. 46 रकबा 3 बोधा 15 वि.
कुल रकबा 19 बोधा 16 बिस्वा
का 1/2 हिस्सा 21,000/- प्रति
बोधा की दर से.

2,07,900.00

विशेषाधिकारी
श्री विकास एवं आवासन मण्डल
राजस्थान, जयपुर.

131

पिछला योग

2,07,990.00

।ख। कुआ 18,000/-

र. ती. पाईप 3,439.20

पेड 5,300/-

मिट्टी का डोला 1,252.50

कुल 27,993.70 का 1/2 भाग

13,995.85

योग 2,21,895.85

।ग। अनिवार्य अवाप्ति का

मुआवजा 10 प्रतिशत की दर

22,189.59

योग 2,44,085.44

।घ। मुआवजे की राशि पर

4 प्रतिशत वार्षिक दर से

साधारण ब्याज दिनांक

22.5.82 से 21.10.83

13,831.50

कुल योग 2,57,916.94

2. चन्द्रापुर म्होर वाद संख्या 1/82/121

।क। भूमि खसरा नम्बर 52 रकबा

1 बीघा 10 बिस्वा, खसरा

नम्बर 53 रकबा 2 बीघा

15 बिस्वा कुल रकबा 8

4 बीघा 5 बिस्वा 21,000/-

प्रति बीघा की दर से

89,250.00

।ख। मिट्टी का डोला

1,403.25

।ग। पेडों की कीमती

1,780.00

।घ। मिट्टी के मकान व छप्पर

7,051.00

योग

99,484.25

।ड। अनिवार्य अवाप्ति का मुआ-

वजा 10 प्रतिशत की दर से

9,948.43

योग

1,09,432.68

।च। मुआवजे की राशि पर 4%

वार्षिक दर से साधारण

ब्याज दि. 22.5.82 से

21.10.83 तक

6,201.17

कुल योग

1,15,633.85

विशेषाधिकारी

जन विकास एवं आवासन मण्डल
राजस्थान, जयपुर.

114

इस प्रकार आज दिनांक 21.10.1983 को कुल रुपये 7,89,568.07 अर्थात् सात लाख निवासी हजार पाँच सौ अठ्ठास रुपये 07 पैसे मात्र का अवाई घोषित किया गया। अधिनियम की धारा 12(1) के अनुसार अवाई शामिल सभी पत्रावलियों में हो एवं अधिनियम की धारा 12(2) के अनुसार सम्बन्धित दावेदारान को सूचित किया जाये तथा प्रतिलिपि शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान, जयपुर, सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर एवं तहसीलदार, सांगानेर को प्रेषित हो।



विशेषाधिकारी
विशेषाधिकारी
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

है :---

विशेषाधिकारी

नगरीय विकास एवं आवासन मण्डल
राजस्थान, जयपुर

1. श्रीमान शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग
राजस्थान, जयपुर
2. श्रीमान सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर
3. तहसीलदार तहसील सांगानेर जिला जयपुर
4. श्री गणपत पुत्र श्री नारायण, मु. नाना बेवा जन्माथ
जाति बलाई निवासी सुखालपुरा तहसील सांगानेर एवं
श्री चन्द्रा पुत्र म्होरु जाति धानका निवासी सुखालपुरा
तहसील सांगानेर.

1123 to 1127

21/10/83

विशेषाधिकारी
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग
राजस्थान, जयपुर
राजस्थान, जयपुर